334

संख्या–1799 /III(2)/16–05(प्रा0आ0)/2003

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 25 मई, 2016

विषय– **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत डुबरौली–ध्यूली–धौनी मोटर मार्ग की पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2002–03 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत डुबरौली–ध्यूली–धौनी मोटर मार्ग निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या–262/लो0नि0–1/03–05(प्रा0आ0)/2003 दिनांक 31 मार्च, 2003 के द्वारा लागत धनराशि ₹ 21.50 लाख हेतु प्रदान की गई है।

वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 15–01–2016 के द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने तथा इस बीच निर्माण समाग्री एवं श्रम की दरों में वृद्वि होने के कारण स्वीकृत लागत ₹ 21.50 लाख से मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में कार्य किया जाना सम्भव न हो पाने के कारण मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी पुनरीक्षित लागत ₹ 199.10 लाख है, के सापेक्ष विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा द्वारा **औचित्यपूर्ण पाई गई पुनरीक्षित लागत ₹ 199.10 लाख (₹ 21.50 लाख पूर्व स्वीकृत लागत+₹ 177.60 लाख अतिरिक्त लागत)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय किये जाने की, माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :–

1– उक्त पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या–262/लो0नि0–1/03–05(प्रा0आ0)/2003 दिनांक 31 मार्च, 2003 के द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 21.50 लाख को योजना की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई पुनरीक्षित धनराशि ₹ 199.10 लाख से घटाते हुए, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई **अतिरिक्त लागत धनराशि ₹ 177.60 लाख (₹ एक करोड़ सतत्तर लाख साठ हजार मात्र)** में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पश्चात् व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2003 को केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

2– पुनरीक्षित विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नही किया जायेगा।

4– स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

334A

5— ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

6— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

7— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

8— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

9— स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स—2008 एवं उक्त के विषय में समय—समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

10— पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं का होगा।

11— उक्त योजना के संबंध मे होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0—22 लेखाशीर्षक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—04 जिला तथा अन्य सड़कें—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—03 राज्य सैक्टर—01 चालू निर्माण कार्य—24 वृहत निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

12— **यह आदेश वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पत्रावलियों में दिये गये परामर्शानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या—1799 /III(2)/16—05(प्रा0आ0)/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव